

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 72/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत
पंजीकृत कार्यालय- 27ए, डवलपड इन्डस्ट्रियल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई-600032
शाखा कार्यालय- द्वितीय मंजिल, 212, 213, 214, एवरशाईन टॉवर, एफ-1,
आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. सुरेश कुमार रैगर पुत्र रूपाराम रैगर

प्रथम पता:- वार्ड नम्बर 5, रैगरों का मोहल्ला, रामगढ़, दांतारामगढ़, सीकर,
जिला सीकर (राज.) 332703

द्वितीय पता:- प्लॉट नम्बर 31, खसरा नम्बर 519 का हिस्सा, ग्राम रामगढ़,
तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.) 332702

2. ललीता देवी पत्नि सुरेश कुमार

प्रथम पता:- वार्ड नम्बर 5, रैगरों का मोहल्ला, रामगढ़, दांतारामगढ़, सीकर,
जिला सीकर (राज.) 332703

द्वितीय पता:- प्लॉट नम्बर 31, खसरा नम्बर 519 का हिस्सा, ग्राम रामगढ़,
तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.) 332702

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 03 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः सुरेश कुमार रैगर पुत्र रूपाराम रैगर एवं ललीता देवी पत्नि सुरेश कुमार की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ललीता देवी पत्नि सुरेश कुमार** के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **प्लॉट नम्बर 31, खसरा नम्बर 519 का हिस्सा, ग्राम रामगढ़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 116.66 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में भूखण्ड संख्या 46, पश्चिम दिशा में आम रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या 32 एवं दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 30 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹6,00,000/- (अक्षरे रूपये छः लाख)** एवं **₹90,000/- (अक्षरे रूपये नब्बे हजार)** कुल **₹6,90,000/- (अक्षरे रूपये छः लाख नब्बे हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **27.09.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **27.09.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **सुरेश कुमार रैगर पुत्र रूपाराम रैगर एवं ललीता देवी पत्नि सुरेश कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ललीता देवी पत्नि सुरेश कुमार** के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **प्लॉट नम्बर 31, खसरा नम्बर 519 का हिस्सा, ग्राम रामगढ़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 116.66 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में भूखण्ड संख्या 46, पश्चिम दिशा में आम रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या 32 एवं दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 30 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **03 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मकल शर्मा)
(मकल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर